

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 14
रक्षा पेंशन

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	12000.00	12000.00	...	10538.93	10538.93	...	10769.60	10769.60	
पूंजी	
जोड़	...	12000.00	12000.00	...	10538.93	10538.93	...	10769.60	10769.60	
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ										
थल सेना	2071	...	11036.92	11036.92	...	9744.70	9744.70	...	9902.10	9902.10
नौ सेना	2071	...	317.30	317.30	...	254.71	254.71	...	272.42	272.42
वायु सेना	2071	...	640.73	640.73	...	534.47	534.47	...	590.03	590.03
2. पुरस्कार - थल सेना, नौ सेना और वायु सेना	2071	...	5.05	5.05	...	5.05	5.05	...	5.05	5.05
कुल जोड़	12000.00	12000.00	...	10538.93	10538.93	...	10769.60	10769.60

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रक्षा पेंशन में तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (जिनमें असैनिक कर्मचारी भी शामिल हैं) और साथ ही आयुध कारखानों आदि के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रभागों का प्रावधान किया गया है। इसमें सेवा पेंशन तथा उपदान, पारिवारिक

पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन के संराशीकृत मूल्य, अवकाश नकदीकरण तथा हताहत होने पर दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे युद्ध में चोट लगने पर दिए जाने वाले वेतन और साथ ही परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि जैसे वीरता पुरस्कारों के लिए प्रावधान किया गया है।